नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अमरसिंह बा ग्रा.पं. रावतां

1/12/17

वकील प्रत्यर्थी उपस्थित। रेस्पोंडेन्ट नं. 5/1, बावजूद तामील उपस्थित नहीं है। बहस उभय पक्ष वकील सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी-2 ने यह अपील नामान्तरण नम्बर 259 दिनांक 25/2/86 ग्राम रावतां/तहसील कोटपूतली से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की है। अपीलार्थी-2 ने अपील में कथन किया है कि निर्णय दिनांक 25/2/86 अधीनस्थ न्यायालय ग्रा.पं. रावतां/विधि विरुद्ध है। विधिक प्रावधानों के विपरीत है एवं पक्षपूर्ण है। जो/अपीलित नामान्तरण अपीलार्थी-2 को बिना सुनवाई का अवसर व नोटिस दिये एक ही दिन में सारी कार्यवाही कर स्वीकृत रेस्पोंडेन्ट-2 नं. 1 द्वारा किया गया है। पटवारी हलका द्वारा नामान्तरकरण में अपीलार्थी-2 का नाम अमरसिंह के स्थान पर रामसिंह बिना किसी जाँच के गलत तौर पर दर्ज किया है। जबकि अपीलार्थी-2 का सही नाम अमरसिंह पुत्र फूलचन्द है। अपीलार्थी-2 के खाते खसरों में नाम गलत दर्ज होने से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। अपीलार्थी-2 को जो/अपीलित नामा-न्तरकरण की जानकारी दिनांक 5/6/17 को पटवारी हलका से नकल जमाबन्दी लेने पर/जमाबन्दी सं. 2072 से 2075 में अपीलार्थी-2 का नाम अमरसिंह के स्थान पर रामसिंह दर्ज होने पर अपीलार्थी-2 को दिनांक 13/6/17 को नकल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर हुई तब अपीलार्थी-2 ने यह अपील प्रस्तुत की है। दिनांक 25/2/86 से दिनांक 5/6/17 तक के समय

जारी
2035
20/11/17

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

सं. 259 दिनांक 25/2/86 में अपीलार्थी का नाम रामसिंह गलत दर्ज है जिसे अमरसिंह संशोधित किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोण्डेन्ट का कथन है कि अपीलार्थी का नाम अमरसिंह नामान्तरकरण में दुरुस्त किये जाने हेतु अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील के समर्थन में अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिचय पत्र की फोटो प्रतियाँ एवं ग्रा.पं. रावों का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें अपीलार्थी का नाम अमरसिंह पुत्र फूलचन्द दर्ज है। एवं रेस्पोण्डेन्ट के कथन से भी अपीलार्थी का सही नाम अमरसिंह होना स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। नामान्तरकरण सं. 259 दिनांक 25/2/86 ग्राम रावों/तहसील रामगढ़ में अपीलार्थी का नाम रामसिंह पुत्र फूलचन्द के स्थान पर अमरसिंह पुत्र फूलचन्द जाति माली नि. रावों दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार कोटखावदा नामान्तरकरण को तलब कर अपीलार्थी के हक में इसी अनुसार नामान्तरकरण में इन्द्राज कर जमाबंदी रिकार्ड में अंकन करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार कोटखावदा को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली पंजिका से खारिज होकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

544
14.3